

२५.५.१७

पञ्जाबी कोर्ट केम्प | न्याय काप के हार
मोपाकाद में दिनांक २५-५-१७ को उल्टा उरी
फंसका आका के बिरवा जाकर शामीर-पञ्जाबी
विदा गदा।

पञ्जाबी देशक शुभर होकर नरव
के कर हो। ↓

उपखण्ड अधिकारी
बीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :- 216/2016

1. कृष्ण गोपाल पिता रामस्वरूप नुवाल, निवासी - 2 क्यू-17 आर०सी० व्यास कॉलोनी, भीलवाडा।
2. अमित पिता शिवरतन नुवाल, निवासी - 2 क्यू-17 आर०सी० व्यास कॉलोनी, भीलवाडा।

-प्रार्थीगण

बनाम

1. नाथुसिंह राजपुत पिता नाहर सिंह राजपुत, निवासी ग्राम नौगांवा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राज.अधि., 1956

निर्णय

दिनांक 25.05.2017

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू-राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 24.11.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम नौगांवा पटवार हल्का भोपालगढ, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 414/2 रकबा 00-18 बीघा, आराजी संख्या 414/1 रकबा 00-15 बीघा, आराजी संख्या 414 रकबा 00-04 बीघा, आराजी संख्या 1055/414 रकबा 00-03 बीघा, कुल किता 04 कुल रकबा 02-00 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थीगण अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जायें।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01 उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थीगण स्वयं के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम नौगांवा पटवार हल्का भोपालगढ, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 414/2 रकबा 00-18 बीघा, आराजी संख्या 414/1 रकबा 00-15 बीघा, आराजी संख्या 414 रकबा 00-04 बीघा, आराजी संख्या 1055/414 रकबा 00-03 बीघा, कुल किता 04 कुल रकबा 02-00 बीघा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कंट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकारान की उपस्थिति में करा देंगे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 200/- अक्षरे दो सौ रुपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर मुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 25.05.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाइल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जायें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)

उपखण्ड अधिकारी एवं

स्वयं-चालीक केन्द्र

जैन तहसीलदार